# निरीक्षण टिप्पणी समाधान दिवस दिनांक 21–06–2014

आज दिनांक 21–06–2014 को समाधान दिवस पर मैंने थाना मेरापुर (10.30 से लेकर 12.45 तक) तथा थाना कमालगंज पर (1.30 से लेकर 2.45 तक) पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ के साथ उपस्थित रहकर आयीं समस्याओं तथा व्यवस्थाओं का परीक्षण किया।

थाना मेरापुर में वास्तविक भूमि विवाद सम्बन्धी समस्या कोई नहीं थी परन्तु दो मामले निजी भूमि की पैमाइश तथा एक मामला गांव की आवादी पर बिक्रेता अपना अंश को दूसरे को बिक्री कर देने परन्तु क्रेता को कब्जा न देने का था। दूसरे प्रकरण की पूंछ–तांछ में यह भी पता चला कि बिक्रेता इस थाना क्षेत्र में नहीं रहता है ,वह फर्रूखाबाद शहर में रहता है और पहले भी उसका अपने मकान पर क्रब्जा नहीं था, बल्कि मकान पर उसके परिवार के दूसरे लोग रह रहे थे, जिससे उसने अपने अंश को बिक्री कर अपनी जिम्मेदारी समाप्त कर ली। जब बिक्रेता का अध्यासन नहीं था तो क्रेता को अध्यासन दिया जाना सम्भव नहीं हुआ और विवाद पैदा हुआ। इससे यह प्रतीत होता है कि बिक्रेता द्वारा क्रेता के साथ धोखाधड़ी कर क्रेता से पैसा ले लिया और कब्जा नहीं कराया। प्रकरण में बिक्रेता के विरूद्व धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना की कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये। क्रेता पक्ष को निर्देशित किया गया कि वह दीवानी न्यायालय में बिक्रेता पक्ष के विरूद्व वाद दायर कर अपना पैसा वापस कराये।

इसी तरह थाना कमालगंज में एक विवाद था जिसमें काफी अरसे से सड़क के किनारे की भूमि पर सन्निकट स्थित आवादी के बच्चो को दफनाया जाता था, परन्तु राजस्व अभिलेखों में ऐसा लिखा नहीं था। जिस पर राजस्व विभाग द्वारा बिना जांच किये भूमि पटटे पर दे दी गई। पटटेदार ने यह भूमि तीसरे व्यक्ति को बेंच दी, जिसके द्वारा कब्जा किये जाने पर सदैव सन्निकट आवादी के द्वारा विवाद किया जा रहा है कि वहां पर शमसान घाट है। इस प्रकरण का आधार एक तो राजस्व अभिलेखों में वास्तविक स्थिति का दर्ज न होना दूसरे शमसान की भूमि का पटटा कर दिया जाने के अतिरिक्त गलत तौर पर बने पटटेदार द्वारा निजी लाभ हेतु भूमि का विक्रय किया जाना गैर कानूनी है। इसका भी निराकरण करते हुए कि सम्बन्धित लेखपाल व राजस्व अधिकारी जिनके द्वारा राजस्व अभिलेख में वास्तविक स्थिति न देखे बिना गलत पटटा किया गया, के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाय। पटटा निरस्त किया जाय और अभिलेखों में वास्तविक प्रयोग के अनुसार स्थिति दर्ज की जाये। इस हेतु भूमि प्रबन्ध समिति से अपेक्षित प्रस्ताव प्राप्त किया जाये। शिकायतकर्ता को निर्देशित किया गया कि पटटेदार से बिक्रय मूल्य वापस प्राप्त करे। इस समस्त प्रकरण में जांचोरान्त सम्बन्धित लेखपाल व पटटेदार के विरूद्व प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश भी दिये गये।

दोनो ही थानों पर उपस्थित लेखपाल व उप निरीक्षकों को मा0 मुख्य मंत्री जी तथा मुख्य सचिव महोदय के निर्देशों से भलीभॉति समझाया गया । सभी लेखपाल अपने–अपने गांव के भूमि विवाद, यदि वह पैदा हो चुके हैं, तो उन्हें निस्वार्थ भाव से सख्ती से समाप्त करें। यदि किसी मामले में वैधानिक कार्यवाही की आवश्यकता है तो सम्बन्धित को परामर्श दें– जैसे निजी भूमि की पैमाइश हेतु धारा 41 एल0आर0एक्ट, सहखातेदार की भूमि बॅटवारा हेतु धारा 176 ज0वि0अ0 के तहत कार्यवाही तथा शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा तत्काल हटाना आदि। यदि इन विवादों में कोई अनाधिकृत हस्तक्षेप करे तो पुलिस का सहयोग लेकर सख्ती से रोका जाये और अभियोग पंजीकृत किया जाये। यदि कोई भू–माफिया प्रकृति का है जो विवादग्रस्त भूमि को क्रय कर बलपूर्वक कब्जा करने का प्रयास करता है, उसकी पहचान कर गैंगेस्टर, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत अपराध पंजीकृत किये जायें।

समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया कि प्रतिदिन प्रातः अपने प्रांगण में आने वाले फरियादियों को स्वंय सुने, उसके उपरान्त प्रातः 9.00 बजे अपने थाने के स्थानीय कस्वे का भ्रमण कर रोड साइड व्यवस्था सुनिश्चित करें। इसके बाद अपने थाने पर आकर अपने दैनिक कार्य सम्पादित करें।

दिन में मध्यान्ह के समय पुनः एक बार थाने के कस्वा का भ्रमण कर अथवा थाना क्षेत्र के संवेदनशील कस्वा का भ्रमण करें और साथ में उचित पुलिस बल रखते हुए पुलिस प्रशासन के प्रति विश्वास पैदा करें और सड़क के किनारे अतिक्रमण कर यातायात में व्यवधान करने एवं विभिन्न अपराधियों के अन्दर भय का वातावरण पैदा करें जिससे वह गैर कानूनी अपराध न करें। इसी तरह रात्रि 7.00 बजे से 9.00 बजे के मध्य कस्वा का भ्रमण करें और निर्धारित दुकानों की बन्दी के समय पर दुकानों की बन्दी सुनिश्चित करायें जिससे एक तो बिजली की खपत कम होगी, दूसरे होटलों, चाय व पान की दुकानों पर बैठने वाले अराजक तत्वों को शरण न मिलने पायेगी और अपराधों में कमी आयेगी।

लेखपालों के भूमि विवाद रजिस्टर निर्धारित प्रारूप पर नहीं बनाये गये हैं, अतः निर्णय लिया गया कि निर्धारित प्रारूप पर भूमि विवाद रजिस्टर राजस्व ग्रामवार तैयार किया जाये और इसके साथ ही समाधान दिवस पर उपस्थित हों और विवाद का निराकरण करने के फलस्वरूप राजस्व/पुलिस अधिकारी का हस्ताक्षर प्राप्त करें।

**प्रारूप**

**राजस्व ग्राम व थाना का नाम –**

| क्र0सं0 | विवाद का प्रकार | विवाद से संबंधित स्थल | विवादग्रस्त पक्षकार | लेखपाल के स्तर पर की गई कार्यवाही | समाधान दिवस पर की गई कार्यवाही व हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

थाना स्तर पर समाधान दिवस की पंजिका इस तरह बनायी जाये कि पंजिका के प्रथम कुछ पृष्ठों पर निम्नलिखित सूचना अंकित की जायः–

| क्र0सं0 | राजस्व ग्राम का नाम | लेखपाल का नाम | तहसील | मोबाइल नं0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

**उपरोक्त के उपरान्त समाधान दिवस की कार्यवाही का प्रारूप**

| क्र0सं0 | विवाद का प्रकार तथा संक्षिप्त विवरण | विवाद से सम्बन्धित स्थल/भूमि | लेखपाल द्वारा भूमि विवाद रजिस्टर पर अंकित कार्यवाही | संबंधित पक्षकार(दोनों पक्षों के नाम व पता) | समाधान का विवरण | राजस्व/पुलिस अधिकारी तथा पक्षकारों के हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

नोटः–

समाधान दिवस पर प्राप्त भूमि विवाद का निराकरण अनिवार्य रूप से किया जाये। यदि किसी विशेष प्रकार का विवाद निराकरण हेतु पाया जाता है तो उसे तहसील दिवस पर सम्बन्धित समाधान दिवस अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जाये और उसका निराकरण कराया जाये। तहसील दिवस पर यदि कोई ऐसी समस्या प्राप्त होती है जो राजस्व विभाग से सम्बन्धित है और उसका उल्लेख भूमि विवाद रजिस्टर में नहीं है तो सम्बन्धित लेखपाल को उत्तरदायी मानते हुए उसके विरूद्व सर्वप्रथम अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी , तत्पश्चात् उसका निराकरण उप जिलाधिकारी व क्षेत्राधिकारी द्वारा स्थल पर जाकर किया जायेगा।

उपरोक्त व्यवस्था का अक्षरशः पालन न किये जाने पर सम्बन्धित का तत्काल उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा और कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

उप जिलाधिकारी व क्षेत्राधिकारी का उत्तरदायित्व है कि क्रमवद्व ढंग से ऐसे विवादों का निराकरण करायें और जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है कि भू–माफियाओं को चिन्हित कर उनके विरूद्व कड़ी कार्यवाही करायें।

(एन0केएस0चौहान)
जिलाधिकारी
फर्रूखाबाद।

कैम्प कार्यालय जिलाधिकारी फर्रूखाबाद।

संख्या /आ0ले0–जि0अ0–2014 दिनांक जून 2014

प्रतिलिपिः–

1– आयुक्त महोदय कानपुर मण्डल कानपुर की सेवा में अवलोकनार्थ प्रेषित।

2– पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ समस्त सम्बन्धित को निर्देश निर्गत किये जाने हेतु।

3– अपर जिलाधिकारी को इस आशय से कि समस्त उप जिलाधिकारियों/तहसीलदारों को उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने हेतु निर्देश प्रसारित करें।

4– आशुलिपिक जिलाधिकारी।

21/6/14
(एन0के0एस0चौहान)
जिलाधिकारी
फर्रूखाबाद।